कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता

निर्माण खण्ड -3 लोक निर्माण विभाग

बाराबंकी

पत्रांक: 1146/1कान,

दिनांक 31/3/015

सेवा में,

डा० एस० आर० मुसना
निदेशक
एस०सी०ई०आर०टी०, बाराबंकी

विषय - जनपद बाराबंकी में लखनऊ-फैजाबाद मार्ग के किमी 18, 19 के मध्य दायीं तरफ स्थित शेरवुड कालेज आफ इंजीनियरिंग रिसर्च एवं टेक्नोलाजी के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.063404 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - आपका पत्र सं० - SCERT/R/15/851 दि० - 30-3-15

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में मार्ग निर्माण कार्य निम्न शर्तों के साथ अनापत्ति दी जाती है।

1) प्रस्तावित निर्माण का तल लखनऊ-फैजाबाद मार्ग से नीचा रखा जाय।
2) प्रस्तावित निर्माण स्थल के पानी का बहाव मार्ग की दिशा में नहीं होगा
3) प्रस्तावित निर्माण में पानी निकासी हेतु पुलिया/ड्रेन का निर्माण स्वामी को स्वयं अपने व्यय से अन्य निर्माण करने से पूर्व करना होगा।
4) जब भी मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि वांछित होगी तो भूमि चौड़ीकरण हेतु उपलब्ध करानी होगी तथा अपने व्यय से वांछित निर्माण हटाना होगा।
5) प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का ही रहेगा।

(Satish Kumar Srivastava)
DIRECTOR
General Administration
Sherwood Educational Campus,
Dharsaniya-Barabanki

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3 लो०नि०वि०
बाराबंकी